लेती हैं। यहाँ कवयित्री यह बताती है कि अब की स्त्री, आँसुओं में बह जानेवाली जानकी नहीं है। वह बार-बार अग्निपरीक्षा नहीं देगी और न ही अपने चरित्र के प्रमाण प्रस्तुत करेगी। यह स्पष्ट संकेत है कि आज की नारी अपने अस्तित्व और चरित्र को लेकर अपराधबोध से मुक्त है, और अपने आत्म सम्मान को सर्वोपरी मानती हैं। जो सीता ने अतीत में चुप्पी से सब सही, समाज ने रावण की बुराई की जगह सीता की शुद्धता पर प्रश्न उठाया। कवयित्री कहती है कि दोष रावण की दृष्टियों में था, फिर भी सीता को कठघरे में खड़ा किया गया। यह आज की सच्चाई है, जब कोई अपराध होता है तो दोषी की बजाय पीड़िता से सवाल किए जाते हैं। यह मानसिकता नारी को बार-बार अपमानित करती है। यहाँ कवयित्री राम से सवाल करती है कि जब सीता पर अन्याय हुआ, तब राम मौन क्यों रहे? यह मौन पुरुष प्रधान समाज का प्रतीक है, जो नारी पर होते अन्याय को देखता तो है, पर आवाज़ नहीं उठाता। राम जैसे आदर्श पुरुष भी स्त्री को उसका अधिकार दिलाने में असमर्थ रहे, यही कारण है कि समय के साथ स्त्रियों ने अपने अधिकार खुद हासिल करने का बीड़ा उठाया है।

समय के प्रवाह ने नारी को नया रूप दिया है। अब वह सिर्फ सहनशील की मूर्ति नहीं, बल्कि शक्ति और प्रतिकार का रूप भी हैं। कल की सीता अब दुर्गा बन चुकी है जो अत्याचार को सहन नहीं करती, बल्कि उसका अंत करती है। यह परिवर्तन समाज में स्त्रियों के बदलते स्वरूप को दर्शाता है, जहाँ वे अब न्याय, शिक्षा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की माँग करती है और इसे प्राप्त भी करती हैं।

**"ऐ राम मुझे पूजकर भी मेरी/बोली लगा दी**
**गर्भ में मरने से दहेज जाती है,/तक की पीड़ा मुझे दी जाती है"**

यहाँ कवयित्री ने एक कटु और यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया है। एक समय स्त्री का सीता, दुर्गा, लक्ष्मी आदि के रूप में पूजनीय मानते थे, उस समाज ने वास्तविक जीवनस में उसी स्त्री को गर्भ में मारा जाता है, दहेज की आग में झोंका जाता है। यह दोहरे सामाजिक मापदंडों पर तीखा व्यंग्य हैं। एक ओर स्त्री को आदर्श माना गया और दूसरी ओर उसी पर अत्याचार किया गया। आज की सीता चुप नहीं रहेगी। वह अब समर्पण नहीं, संघर्ष का मार्ग अपनाएगी। अपने सम्मान और अधिकार को याचना से नहीं, बल्कि दृढ़ता से प्राप्त करेगी। यह आधुनिक नारी की दृढ़प्रतिज्ञा चेतना है- जो अब संवेदनशील होकर भी निर्बल नहीं, बल्कि न्याय केलिए लड़नेवाली है। नारी कभी घर की लक्ष्मी, वंश की जननी मानी जाती थी, पर अब वही नारी जब सवाल पूछती है, विरोध करती है, तब समाज उसे अभिशाप की तरह देखता है। सीता बार-बार कहती रहती है कि वह केवल अतीत की पीड़ा नहीं, बल्कि सदियों से चले आ रहे हुए अत्याचार का हिसाब करने आई है। आज की सीता नारी मुक्ति की प्रतीक है, जो सामाजिक मर्यादाओं की बेडियों को तोड़ चुकी हैं। उनका विरोध तो सामाजिक व्यवस्था पर हैं, जहाँ नारी से हठ बार अपनी शुद्धता का प्रमाण माँगा जाता है, जबकि पुरुष मौन और मुक्त रहता है। यह आज की सच्चाई हैं- जब कोई अपराध होता है तो पीडिता से सवाल पूछता है। राम जैसे आदर्श पुरुष भी स्त्री को उसका अधिकार दिलाने में असमर्थ रहे, यह परिवर्तन समाज में स्त्रियों के बदलते स्वरूप को दर्शाता है, जहाँ वे अब न्याय, शिक्षा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की माँग करती है और इसे प्राप्त भी करती है।

सीता यहाँ पौराणिक नारी का प्रतूक है, राम उस पुरुष समाज का जो न्यायप्रिय होते हुए भी स्त्री की रक्षा में असफल रहता हैं। अग्निपरीक्षा और चरित्र प्रमाण आज भी स्त्रियों की सामाजिक परीक्षा की मानसिकता को इंगित करते हैं। कविता यह बताती है कि सीता अब जंगल नहीं जाएगी, अब वह समाज से लड़कर अपने सम्मान को बचाएगी। शिखा कुमारी उपाध्याय की यह रचना आज के समाज को यह आइना दिखाने में पूर्णतः सफल होती है कि स्त्री अब चुप नहीं, वह दुर्गा बनकर अपने अस्तित्व की रक्षा करेगी।

# कृषि उपार्जन एवं नवाचारी जनसंचार साधनों का पिछड़ा वर्ग की महिलाओं में सशक्तीकरण (रीवा जिले के विशेष संदर्भ में)

**डॉ. महानन्द द्विवेदी**
प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (समाजशास्त्र)
शास. शहीद केदारनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मऊगंज (म.प्र.)
**श्रद्धा शुक्ला**
शोधार्थी समाजशास्त्र,
शास. ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

**शोध सारांश:-**
नये युग की मांग है कि समाज और परिवार का सर्वांगीण संतुलित विकास किसी भी परिवार या समाज का संतुलन तभी सम्भव है जब समाज या परिवार की रचना करने वाले दो महत्वपूर्ण मानव इकाई जो महिला एवं पुरुष के रूप में रेखांकित होते हैं के विकास के मार्ग सम्यक हों। महिला और पुरुषों का विकास एकपक्षीय होने पर विकास लक्ष्य की पूर्ति संभव नहीं हो पाती। विगत सदियों पर गौर करें तो महिलाएं मूलतः घर की चाहरदीवारी में कैद हो गई थीं। विकास के सभी आयाम पुरुषों के पास संरक्षित हो गये थे। महिलाओं को भोजन, वस्त्र तक पुरुषों द्वारा देय होने लगा। जिस कारण महिलाओं के आत्मशक्ति धीरे-धीरे क्षीण होती गई और वे सीमित दायरे में रहना ही अपना नियति मान बैठी। इस शोध पत्र में उक्त बिन्दुओं का अध्ययन किया गया है।

**मुख्य शब्द:-**कृषि, उपार्जन, नवाचारी, जनसंचार, साधनों, पिछड़ा वर्ग, महिलाओं, सशक्तीकरण आदि।

**प्रस्तावना:-** आजादी मिलने के साथ ही महिलाओं के जीवन चक्र में बदलाव आना शुरू हुआ। उन्हें शिक्षा के अवसर मिले और देश की तात्कालिक परिस्थितियों के अनुकूल अपने मत-अभिमत देने के अधिकार भी मिले। लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदान एक ऐसा पहलू सामने आया जिसके माध्यम से महिलाओं को पहलीबार अपने विचारधारा को सामने रखने का अवसर मिला। कुछ समय बाद जैसे-जैसे समय आगे बढ़ता गया अन्य क्षेत्रों में भी महिलाओं को विचार प्रकट करने अपने शक्ति सामर्थ्य अनुकूल कार्य करने के अवसर मिलने लगे। इस तथ्य को रेखांकित करते हुए महिलाओं के सक्षमता के लिए नये-नये मानक बने जिन्हें महिला सशक्तिकरण के मानदण्ड के रूप में रेखांकित किया जाने लगा।

महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए जो मानक निर्धारित किये गये उनमें से इस बात का चिन्तन किया गया कि सशक्तीकरण का मुख्य आधार आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं की किसी न किसी रूप में भूमिका होनी चाहिए। महिलाओं की आर्थिक सक्षमता ही उन्हें समाज में बराबरी का दर्जा दिलाने का समर्थ्य और सार्थक माध्यम बन सकती है। इस स्थिति में भी समाज और परिवार में महिलाओं की भूमिका प्रभावी बनेगी। वर्तमान में देखा जाये तो विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार और अर्थमूलक कार्य मिलने के अलग-अलग मानक हैं। प्रस्तुत अध्ययन के राजस्व क्षेत्र में मूलतः कृषि परिक्षेत्र प्रचुरता में है। इस क्षेत्र से लगभग 70 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग महिलाएं संलग्न हैं। इस संलग्नता में उनमें नवक्रांति के अवसर उपलब्ध कराये हैं। कृषि को पारम्परिक पद्धति से हटकर नये परिप्रेक्ष्य में लाने के लिए इस क्षेत्र में भी नवाचारी कृषि का सूत्रपात होने लगा है। जिसमें महिलाओं की भूमिका भी प्रभावित दिख रही है। जो उनके सशक्तीकरण का परिचायक बनने का मार्ग प्रशस्त कर

सकेगी। महिलाओं को पुरुष के बराबर वैधानिक, राजनीतिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में उनके परिवार, समुदाय, समाज एवं राष्ट्र की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में निर्णय लेने की स्वयतता से है। भारत में महिला सशक्तिकरण का प्रारंभिक उद्देश्य महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक दशा को सुधारना है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उन पहलुओं को मजबूत बनाने की आवश्यकता है, जिनका सीधा संबंध स्वावलम्बन और उत्थान से है। शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक ओर राजनीतिक क्षेत्र इनमें से प्रमुख है।महिला की प्रगति पूरे घर परिवार समाज एवं राष्ट्र की प्रगति मानी जाती है। महिलाओं के प्रति होते तमाम अत्याचारों, शोषण की समाप्ति तथा दुराग्रही प्रकृतियों की समाप्ति को लेकर कृत संकल्पना दोहराने हेतु महिला सशक्तिकरण की रूप रेखा रखी गयी। ताकि नई सदी में हम एक ऐसे समाज और राष्ट्र के निर्माण पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकें जहाँ महिलाओं को अपनी अभिव्यक्ति की वास्तविक स्वतंत्रता हो। इस संकल्पना के साथ ही महात्मा गाँधी के कथन भी पूर्णतरू साकार हों कि ''जब तक भारत की महिलाएँ सार्वजनिक जीवन में हिस्सा नहीं लेंगी, देश तरक्की नहीं कर सकता।''

महिला सशक्तिकरण की अवधारणा मूलतः महिलाओं की कमजोर स्थिति में सुधार के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई है। महिलाएँ जो आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं, करीब-करीब सम्पूर्ण विश्व में भेद-भाव, अन्याय एवं असमानता के चक्रव्यूह में से सदियों से ग्रसित रही हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण की स्थिति में कुछ भी नया नहीं है। बल्कि इसमें नई चीज यह है कि महिलाएँ अपनी कमजोर, भेदभाव एवं असमानता की स्थिति के विरूद्ध अब आवाज उठाने लगीं हैं। आज यह स्वीकार किया जाने लगा है कि मानव राष्ट्र एवं विश्व का वास्तविक विकास महिलाओं के सशक्तिकरण के माध्यम से ही संभव हो सकता है। अमर्त्यसेन ने इस बात पर जोर दिया है कि आज विश्व के विभिन्न देशों का विकास प्रक्रिया में महिला सशक्तिकरण निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। महिला सशक्तिकरण शब्द का समाजशास्त्रीय अध्ययन में अपना एक विशेष अर्थ है। 'सशक्तिकरण' एवं महिला सशक्तिकरण शब्द आज सरकारी एवं गैर-सरकारी संगठनों, विभिन्न विकास एजेंसियों, यूनाईटेड नेशन्स एवं अन्य अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों, महिला समस्याओं के अध्ययनों आदि के सन्दर्भ में सशक्तिकरण शब्द वृहत रूप से व्यवहार हो रहा है।

महिला सशक्तिकरण के अभिप्राय का मुख्य केन्द्र, राजनैतिक सत्ता की भागीदारी, वितरण एवं पुनर्वितरण की गतिशीलता में अवस्थित है, जिसके पास एक वैधता का आधार होता है। सत्ता दूसरों पर नियंत्रण रखने हेतु व्यक्ति की क्षमता है ओर इस प्रकार जब नियंत्रण की यह क्षमता वैधता प्राप्त कर लेती है, तो वह प्राधिकार बन जाती है। दरअसल सशक्तिकरण की तर्कसंगति में प्राधिकार की गत्यात्मकता शामिल है।

जब हम प्राधिकार अथवा उस अर्थ में वैधता प्राप्त सत्ता के वितरण अथवा पुनर्वितरण प्रक्रिया की बातें करते हैं तो स्वभाविक रूप से न केवल उस प्राधिकार हेतु वेधता के आधार परय बल्कि उन सामाजिक श्रेणी-विभाजनों पर भी सवाल करते हैं, जिनके माध्यम से सत्ता संबंध कार्यरूप में व्यवहृत होते हैं। इसी तर्क के आधार पर सत्ताहीनता को भी प्रदत्त सामाजिक व्यवस्था में वैधता प्रदान कर दी गई है, ताकि सत्ता-वितरण की सशक्त प्रक्रिया बनी रहे। सशक्तिकरण न तो ओपचारिक ज्ञान मात्र है ओर न काल्पनिक जादई छड़ी, बल्कि यह किसी विशिष्ट स्थान तथा कालखंड में घटित होने वॉली मानवीय एवं सामाजिक प्रक्रिया है, जहाँ किसी शक्तिहीन, पीड़ित या शोषित को भिन्न-भिन्न तरीके से शक्ति-सम्पन्न किया जाता है, जिससे वह मानव जीवन के चरमोत्कर्ष को वैधिक ओर नैतिक रूप में प्राप्त कर सके।

अतएव सशक्तिकरण एक बहु-आयामी एवं बहुस्तरीय अवधारणा यह कोई अकेली चीज नहीं है। बल्कि यह कई कारकों जैसे-भौतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक आदि की क्रिया ओर अंतरू क्रिया है। इसी संदर्भ में चिंतक महिला-सशक्तिकरण को भी देखते हैं। महिला सशक्तिकरण को सामान्यतया एक प्रक्रिया के रूप में देखा जाता हैं, जिनमें महिलाएँ भौतिक, मानवीय एवं बोद्धिक-जैसे ज्ञान, सूचना, विचार ओर वित्तीय स्रोतों जैसे धन अथवा धन तक पहुँच एवं घर, परिवार, समुदाय, समाज एवं राष्ट्र आदि के संदर्भ में निर्णय लेने के सम्बन्ध में अधिक सहभागिता कर सकती हैं।

'महिला- सशक्तिकरण' शब्द सामाजिक न्याय एवं समानता प्राप्ति हेतु महिलाओं के संघर्ष से जुड़ी हुई हैं। महिला-सशक्तिकरण का मतलब यह नहीं है कि उन्हें दूसरों पर प्रभुत्व जमाने की शक्ति प्रदान करना तथा अपनी श्रेष्ठता को स्थापित करने हैतु शक्ति सम्पन्न बनाना। महिलाओं के लिए सशक्तिकरण का मतलब यह है कि उसे ऐसी शक्ति प्राप्त हो, जिससे उसके महत्व को स्वीकार किया जा सके तथा उसे समान नागरिक एवं समान अधिकार की स्थिति तक ला सके। उनके लिए शक्ति का मतलब यह है कि न केवल घर के अन्तर्गत बल्कि समाज के प्रत्येक स्तर एवं पक्ष में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। उनकी शक्ति के मूल्य एवं भागीदारी को समाज द्वारा उचित मान्यता भी प्राप्त हो सके।

महिलाओं की सशक्तिकरण होने से उनमें अपनी क्षमताओं एवं योग्यताओं को पहचानने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है, ताकि वे एक पूर्ण नागरिक के रूप में अपने देश एवं मानवता की सेवा में सहायता पहुँचा सकें। अपनी क्षमताओं के अनुरूप वे अपने परिवार, समुदाय एवं समाज के प्रत्येक स्तर पर अपनी एक सकारात्मक छवि का निर्माण कर सकें ओर अपने अंदर आत्मविश्वास को भी उत्पन्न करें। उनमें क्षमताओं का इतना विकास हो सके कि वे किसी भी समस्या का स्वयं समाधान कर सकें।

जब महिलाएँ अपने प्रति होने वाले सामाजिक-मनोवैज्ञानिक-सांस्कृतिक अन्याय, लिंग-भेद, असमानता, सामाजिक-सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक शक्तियों के नकारात्मक प्रभाव के विरूद्ध जागरूक हो जाए तो यह समझा जा सकता है कि उनका सशक्तिकरण हो रहा है। वास्तव में, इसकी शुरूआत तब होती है, जब वे अपनी सकारात्मक स्वच्छ छवि, अधिकार, कर्तव्य ओर अपनी क्षमताओं के प्रति पूरी जागरूक हो जाती है।

महिला सशक्तिकरण की सार्थकता यह है कि, उन्हें इतना योग्य बनाया जाए कि वे अपनी क्षमताओं एवं योग्यताओं को पहचान सकें और इसका उपयोग अपने जीवन में कर सकें। वे अपने जीवन में विचारों, उसकी अभिव्यक्ति एवं कार्यों की स्वतंत्रता का उपयोग कर सकें। इतना ही नहीं, उन्हें केवल अपनी योग्यता को ही नहीं पहचानना है, बल्कि इसके लिए उन्हें अवसर, सुविधा, बाहरी ओर आंतरिक वातावरण पर भी ध्यान देना है, ताकि वे अपनी क्षमताओं एवं आत्मसम्मान की समृद्धि भी कर सकें। अपने प्रति होने वाले अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने की क्षमता भी विकसित हो सके।

लैंगिक-न्याय, लैंगिक-समानता, महिला-अधिकार एवं महिला-सशक्तिकरण आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए मुद्दे हैं। इनमें आपसी क्रिया-प्रतिक्रिया होते रहते हैं। जेब लैंगिक न्याय एवं समानता तथा महिला-अधिकार को मानवाधिकार के अन्तर्गत स्वीकार किया जाता है तभी यह कहा जा सकता है कि महिला-सशक्तिकरण के अनुकूल स्थिति उत्पन्न हुई है तथा लैंगिक-समानता एवं न्याय को तभी प्राप्त किया जा सकता है।

महिला सशक्तिकरण को लिंग-समानता से अलग करके नहीं देखा जा सकता है। महिला-सशक्तिकरण से लिंग समानता की स्थिति उत्पन्न होती है एवं लिंग-समानता की स्थिति से महिला-सशक्तिकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। समान एवं स्थायी मानवीय विकास तभी संभव हो सकता है, जब समाज के हर स्तर पर स्त्रियों एवं पुरुषों के बीच समानता की स्थिति आ जाए। लिंग-समानता का मतलब संसाधनों तक पहुँच के समान अवसरों, समानता से विश्वास के साथ मूल्य-व्यवस्था का निर्माण, निर्णय निर्धारण करने में पुरुष के समान सहभागिता तथा संसाधनों पर समान नियंत्रण से तात्पर्य लगाया जाता है।

सशक्तिकरण का अर्थ है 'शक्तिसम्पन्न' करना अर्थात् जो पहले से शक्तिहीन है, या शक्तिहीन बनाया गया है या शक्तिहीन माना गया है या जिसे शक्तिहीन रूप में देखा जाता है उसे ऐसी शक्तियाँ प्रदान की जाएँ जो उसके बहु-आयामी व्यक्तित्व के सम्मान हेतु, पुष्पित-पल्लवित और समृद्ध करने हेतु आवश्यक है। इस सम्मान और समृद्धि की कोई सीमा नहीं हैं ओर विभिन्न समाज में यह भिन्न-भिन्न स्वरूप व्यापकता, गहराई या अन्तर्वस्तु में परिभाषित हो सकती है। किन्तु एक मापदण्ड यह तो हो ही सकता है कि यह सम्मान एवं समृद्धि पुरुषों से किसी भी अर्थ में कम न हो। सशक्तिकरण किसी भी प्रकार के भेदभाव विषमता, स्तरण, अधीनता, हिंसा, अश्पृश्यता, वंचना तथा किसी भी आभाव को मिटाने वाली वह प्रक्रिया है जो अन्ततः सकारात्मक शक्ति का उपयोग करने की क्षमता पैदा करती है। महिलाओं के संदर्भ में सशक्तिकरण का अर्थ है संसाधनों पर उनका नियंत्रण तथा निर्णय का अधिकार।

विभिन्न मत और विचारों को दृष्टिगत रखते हुए कहा जा सकता है कि सशक्तिकरण के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए आवश्यक यह है कि महिलाओं की सैद्धान्तिक ओर सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में उनकी दयनीय स्थिति को समझना महिलाओं के दोयम दर्जे के लिए सैद्धान्तिक ओर सांस्कृतिक विचारधारा जिम्मेदार है। इन विचारधारों के कारण शक्ति संतुलन पुरुषों के पक्ष में रहा है। इसलिए सशक्तिकरण का तात्पर्य सिर्फ संसाधनों पर महिलाओं के अधिकार स्थापित होने से नहीं है इसका मूल तात्पर्य है समाज में मौजूद पुरुषों के अधिकार को निरापद बनाने वाली विचारधारा को चुनौती देना ओर समाप्त करना। इसके अतिरिक्त संसाधनों पर अधिकार, निर्णय की स्वतंत्रता, राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी, स्वंय में विश्वास, इच्छा की अभिव्यक्ति अवसर की समता, आदि तत्व भी सशक्तिकरण की अवधारणा के परिधि में आता है।

महिला-सशक्तिकरण' शब्द सामाजिक न्याय ओर समानता प्राप्ति हेतु महिलाओं के संघर्ष से जुड़ी हुई है। वास्तविक सशक्तिकरण विचारों जो व्यक्ति की सोच, उम्मीद, विश्वास, मूल्य एवं मनोवृत्तियों में विद्यामान है को नियंत्रित करता है। यह नियंत्रण महिलाओं के शक्ति को निर्धारित कर स्रोतों पर उनकी पकड़ को मजबूत बनाता है, अर्थात् सशक्तिकरण का अर्थ शक्तिहीनता से शक्ति समान्नता की ओर जाना है। यह महिलाओं में शक्ति की वृद्धि करता है तथा उनमें एक सकारात्मक सोच का निर्माण करता है।

**अध्ययन क्षेत्र -** शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को साक्षात्कार के लिए निदर्शन विधि के माध्यम से चयन करते समय सर्वप्रथम गाँवों का चयन किया गया। रीवा में कुल 2817 गाँव हैं, जो 9 विकासखण्डों में सम्मिलित है। दैव निदर्शन के लाटरी प्रणाली द्वारा 4 विकासखण्डों, सिरमौर, त्योंथर, जवा, हुजूर का चयन किया गया। तत्पश्चात् प्रत्येक चयनित विकास खण्ड में से एक-एक कुल 4 गाँवों, पहाड़ी, बन्ना-पांती, घोपी, पिपरवार का चयन भी दैव निदर्शन की लाटरी पद्धति से किया गया है।

**महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम-**

महिलाओं को रोजगार और प्रशिक्षण के लिए सहायता देने का कार्यक्रम में केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य इस प्रकार है-

(1) परम्परागत क्षेत्रों में महिलाओं के कौशल में सुधार तथा परियोजना आधार पर रोजगार उपलब्ध करके, महिलाओं की स्थिति में महत्त्वपूर्ण सुधार करना है।

(2) इसके लिए उन्हें उपयुक्त समूहों में संगठित किया जाता है, विपणन सम्बन्धी सम्पर्क कायम करने के लिए व्यवस्थित किया जाता है। सेवाओं में मदद दी जाती है ओर ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

(3) इस योजना में रोजगार के आठ परम्परागत क्षेत्र शामिल हैं जो इस प्रकार हैं- कृषि, पशुपालन, डेयरी व्यवसाय, मत्स्य पालन, हथकरघा, हस्तशिल्प, खादी और ग्राम उद्योग और रेशम कीट पालन आदि।

(4) यह योजना सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों, राज्य निगमों, जिला ग्राम्य विकास अधिकरणों, सहकारिताओं, परिसंघों ओर ऐसी पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से लागू की जा रही हैं जो कम-से-कम तीन साल से अस्तित्व में हैं।

स्वयं सिद्धा-महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण की समन्वित योजना है। इस योजना की दीर्घकालीन उद्देश्य महिलाओं का चहुँमुखी विकास, विशेष तोर पर उनका सामाजिक और आर्थिक विकास करना है। इसके लिए सभी वर्तमान क्षेत्रीय कार्यक्रमों में समन्वय और लगातार चलने वाली प्रक्रिया के जरिये संसाधनों तक उनकी सीधी पहुँच तथा नियन्त्रण सुनिश्चित करना है। योजना का उद्देश्य इस प्रकार है। लघु ऋण योजनाओं तक महिलाओं की पहुँच बनाना। ग्रामीण महिलाओं में बचत की आदत डालना और आर्थिक मुद्दों के प्रति जागरूकता पैदा करना। महिला ओर बाल-विकास मंत्रालय और अन्य विभागों की सेवाओं की तरफ अभिमुख करना।

महिला सामाख्या कार्यक्रम-महिला सामाख्या भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा एक कार्यक्रम है, जिसकी अवधारणा 1986 की नयी शिक्षा प्रणाली से उभरी है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कमजोर, वंचित, निर्धन वर्गों की महिलाओं व बालिकाओं की, शिक्षा तक पहुँच सुनिश्चित करना है। कार्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षा को व्यापक अर्थों में देखते हुए व्यावहारिक शिक्षा का समावेश किया गया है। इसमें नारीवादी सोच का विकास, स्वयं के मुद्दों तथा सामाजिक- आर्थिक मुद्दों पर समझ विकसित करना तथा सामाजिक-राजनीतिक व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी व हस्तक्षेप को प्रमुखता से शामिल किया गया है।

महिला सामाख्या शैक्षिक पहुँच एवं उपलब्धि के क्षेत्र में लैंगिक अन्तराल का निराकरण करती है। इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं, विशेषकर सामाजिक, आर्थिक रूप से पिछड़ी एवं वंचित महिलाओं को इस योग्य बनाना है कि वे अलग-अलग पड़ने और आत्मविश्वास की कमी जैसी समस्याओं से जूझ सकें ओर दमनकारी सामाजिक रीति -रिवाज के विरूद्ध खड़े होकर अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए संघर्ष कर सकें। वर्तमान में महिला सामाख्या कार्यक्रम देश के ग्यारह राज्यों में संचालित किया जा रहा है।

स्वावलम्बन-इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को परम्परागत तथा गैर-परम्परागत व्यवसायों में प्रशिक्षण और कौशल उपलब्ध कराकर उन्हें स्थायी आधार पर रोजगार या स्वरोजगार प्राप्त करने में सहायता देना है। इस योजना के अधीन लक्ष्य-समूहों में निर्धन तथा जरूरतमन्द तथा समाज के दुर्बल वर्गों की महिलाएँ शामिल की जाती हैं। इस योजना के अन्तर्गत महिला विकास निगमों, सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों, स्वायत्त संगठनों, न्यासों ओर पंजीकृत स्वेच्छिक संगठनों को वित्तीय

सहायता दी जाती है। प्रशिक्षण दिये जाने वाले व्यवसायों में शामिल हैं- कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग, इलेक्ट्रानिक्स, घड़ीसाज, रेडियो ओर टेलिविजन की मरम्मत, वस्त्रों की सिलाई, हैंडलूम का कपड़ा बुनना, सामुदायिक स्वास्थ्य-कार्य तथा कशीदाकारी।

महिला सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय मिशन विभिन्न मंत्रालयों की नीतियों कार्यक्रमों ओर स्कीमों के बेहतर अभिसरण के माध्यम से महिलाओं के समग्र सशक्तिकरण की इस पहल को प्रचलन में लाया गया। इसके तहत देश भर में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए की गई पहलों को सुर्पवाही बनाने के लिए मुख्यमंत्रियों की अध्यक्षता में राज्य मिशन प्राधिकरणों ओर महिलाओं के लिए राज्य संसाधन केन्द्रों सहित राज्य स्तर पर संस्थागत ढाचे स्थापित किये गए हैं।

वर्तमान में कृषि के विकास में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। महिलाएँ भारत के मानव संसाधनों का लगभग आधा (48 प्रतिशत) हिस्सा हैं। महिलाए कृषि उत्पादन में औसतन 60 से 70 फीसदी श्रम का योगदान महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे बुवाई से लेकर फसल प्रसंस्करण तक के कृषि उत्पादन में कई प्रकार के कार्य करती हैं। पशुधन, मुर्गी पालन और सभी कृषि उद्यमों की देखरेख भी करती हैं। उनके काम के घंटे प्रतिदिन 8 से 10 घंटे तक होते हैं। वे कृषि के लिए भूमि की तैयारी से फसल की उपज तक की गतिविधियों की एक सरगम में अदृश्य कार्य बलों का प्रतिनिधित्व करती हैं।

कृषि प्रौद्योगिकी के नवीनतम विकास के साथ महिलाओं को तकनीकी सम्पन्न करने और उनके तकनीकी कौशल का सम्मान करने के लिए महिलाओं का सामूहिक मीडिया उपयोग व्यवहार मुख्यतः केंद्र में है जो उनके खेती और घर में उत्पादकता में वृद्धि की ओर दर्शित होता है। प्रस्तुत शोध अध्ययन में कृषक महिलाओं द्वारा कृषि नवाचार के उपयोग व्यवहार का विश्लेषण करने के लिए कृषि प्रधान राज्य मध्य प्रदेश के अन्तर्गत रीवा जिले शोध अध्ययन का क्षेत्र चुना है जिसमें पिछड़ी जाति की महिला कृषकों के न्यादर्श को तैयार कर अध्ययन किया गया हैं। निष्कर्षों से पता चला कि अधिकांश (70 प्रतिशत) प्राथमिक स्तर पर शिक्षित थी, संचार माध्यमों की उपलब्धता में टेलीविजन माध्यम का प्रतिशत तुलनात्मक रूप से अधिक रहा व कृषि सूचनाओं की प्राप्ति के लिए कृषि विस्तार अधिकारियों पर ज्यादातर महिलाएँ निर्भर पायी गयीं, जिसमें संचार प्रारूप अंर्तव्यैक्तिक के रूप में सामने आया।

तालिका क्रमांक 1

कृषि व्यवसाय का प्रकार

| क्रमांक | व्यवसाय | संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1. | घरेलू कृषक | 31 | 62.00 |
| 2. | लीज | 12 | 24.00 |
| 3. | अधिक / व्यवसायिक | 7 | 14.00 |
| | **योग** | **50** | **100.00** |

आरेख क्रमांक 1

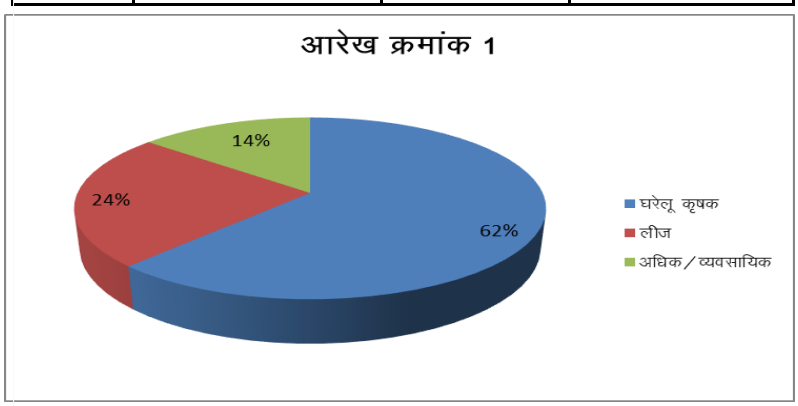


उक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि कृषि व्यवसाय का प्रकार से सम्बन्धित उत्तरदाताओं के विचारों का साक्षात्मकार में शामिल किया गया है जिसमें 62.00 प्रतिशत महिला उत्तरदात घरेलू कृषकों के रूप में है, 24.00 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओ की लीज है जबकि 14.00 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं की अधिक/ व्यवसायिक है।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि सर्वाधिक 62.00 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं की घरेलू कृषक के रूप में है। जिनमें से ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं घर के कार्यो के साथ-साथ कृषि से सम्बन्धित व्यवसायों में संलग्न रहती हैं।

तालिका क्रमांक 2

कृषि उत्पादन से आय के आधार पर उत्तरदाताओं का विवरण

| क्रमांक | विवरण | संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1. | 0–05 हजार | 26 | 52.00 |
| 2. | 10–15 हजार | 13 | 13.00 |
| 3. | 15–25 हजार | 8 | 16.00 |
| 4. | 25 हजार से अधिक | 3 | 6.00 |
| | **योग** | **50** | **100.00** |

उक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि कृषि उत्पादन से आय के आधार पर उत्तरदाताओं को साक्षात्मकार में शामिल किया गया है जिसमें 52.00 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं की आय 0-05 हजार रुपये तक है, 13.00 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं की आय 05-15 हजार रुपये तक है, 16.00 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं की आय 15-25 हजार रुपये तक है जबकि 6.00 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं की आय 25 हजार रुपये से अधिक है।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि सर्वाधिक 52.00 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं की आय 0-05 हजार रुपये तक है, जिनमें से ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं घर के कार्यो के साथ-साथ कृषि से आय अर्जित कर रही हैं।

तालिका क्रमांक 3

सामाजिक सहभागिता के आधार पर उत्तरदाताओं का विवरण

| क्रमांक | विवरण | संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1. | ग्राम पचायत | 30 | 60.00 |
| 2. | को–आपरेटिव सोस इटी | 9 | 18.00 |
| 3. | सगठन | 7 | 14.00 |
| 4. | समूह | 4 | 8.00 |
| | **योग** | **50** | **100.00** |

आरेख क्रमांक 2

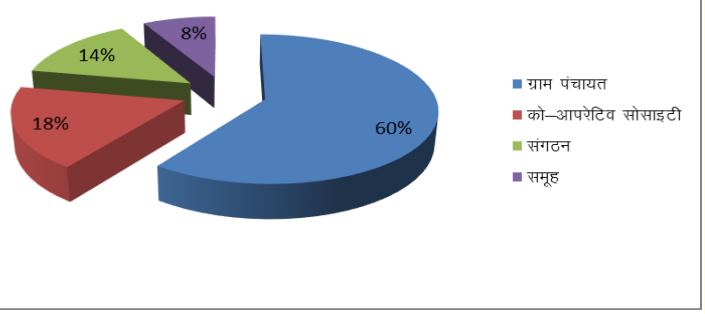

उक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि सामाजिक सहभागिता के आधार पर उत्तरदाताओं को साक्षात्मकार में शामिल किया गया है जिसमें 60.00 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं की आय 0-05 हजार रुपये तक है, 18.00 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं की आय 05-15 हजार रुपये तक है, 14.00 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं की आय 15-25 हजार रुपये तक है जबकि 8.00 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं की आय 25 हजार रुपये से अधिक है।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि सर्वाधिक 60.00 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं की आय 0-05 हजार रुपये तक है, जिनमें से ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं घर के कार्यो के साथ-साथ कृषि से आय अर्जित कर रही हैं।

तालिका क्रमांक 4
सूचना प्राप्ति के माध्यम के उपयोग का विवरण

| क्रमांक | विवरण | कुल संख्या | संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| 1. | टेलीविजन | 50 | 30 | 60.00 |
| 2. | रेडियो | 50 | 12 | 24.00 |
| 3. | समाचार पत्र | 50 | 7 | 14.00 |
| 4. | मोबाइल | 50 | 3 | 6.00 |

उक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि सूचना प्राप्ति के माध्यम के उपयोग का वर्गीकरण करके उत्तरदाताओं से साक्षात्कार करने पर ज्ञात होता है कि 60.00 प्रतिशत उत्तरदाता टेलीविजन को उपयोगी बताया है, 24.00 प्रतिशत उत्तरदाता रेडियो को उपयोगी बताया है, 14.00 प्रतिशत उत्तरदाता समाचार पत्र को उपयोगी बताया है जबकि 6.00 प्रतिशत उत्तरदाता मोबाइल को उपयोगी बताया है।

इस प्रकर से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक 60.00 प्रतिशत सूचना प्राप्ति के माध्यम टेलीविजन को उपयोगी बताया है जिससे लोगों तक सूचना की जानकारियाँ प्राप्त हो रही हैं।

तालिका क्रमांक 5
कृषि संबंधी जानकारी के लिए प्रयुक्त उपयोग का विवरण

| क्रमांक | विवरण | संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1. | टेलीविजन | 29 | 60.00 |
| 2. | रेडियो | 11 | 22.00 |
| 3. | समाचार | 7 | 14.00 |
| 4. | अन्य माध्यम | 3 | 6.00 |
| | **योग** | **50** | **100.00** |

आरेख क्रमांक 3

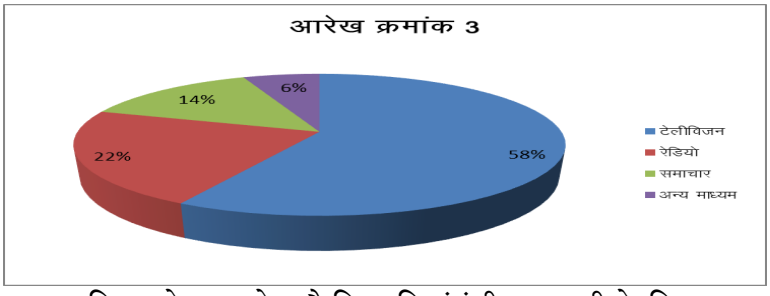


उक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि कृषि संबंधी जानकारी के लिए प्रयुक्त उपयोग का वर्गीकरण करके उत्तरदाताओं से साक्षात्कार करने पर ज्ञात होता है कि 60.00 प्रतिशत उत्तरदाता प्रयुक्त टेलीविजन को उपयोगी बताया है, 22.50 प्रतिशत उत्तरदाता प्रयुक्त रेडियो को उपयोगी बताया है, 22.00 प्रतिशत उत्तरदाता प्रयुक्त समाचार को उपयोगी बताया है जबकि 6.00 प्रतिशत उत्तरदाता ने प्रयुक्त अन्य माध्यमों को उपयोगी बताया है।

इस प्रकर से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक 60.00 प्रतिशत सूचना प्राप्ति के प्रयुक्त टेलीविजन को उपयोगी बताया है जिससे लोगों तक सूचना की जानकारियाँ प्राप्त हो रही हैं।

तालिका क्रमांक 6
नवाचारों का कृषि कार्य में प्रयोग का विवरण

| क्रमांक | विवरण | संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1. | हाँ | 31 | 62.00 |
| 2. | नहीं | 13 | 26.00 |
| 3. | कभी–कभी | 6 | 12.00 |
| | **योग** | **50** | **100.00** |

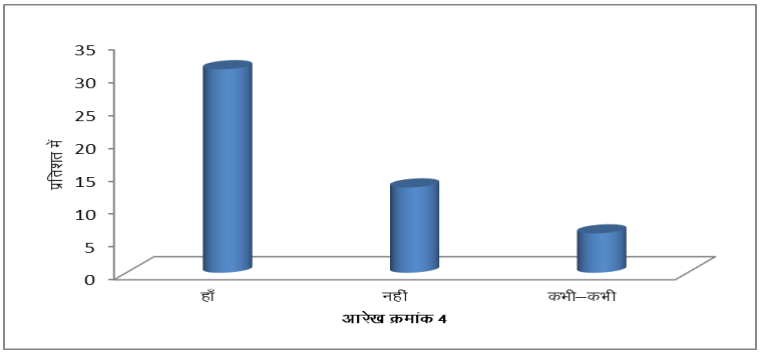

आरेख क्रमांक 4

उक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि नवाचारों का कृषि कार्य में प्रयोग का वर्गीकरण करके उत्तरदाताओं से साक्षात्कार करने पर ज्ञात होता है कि 62.00 प्रतिशत उत्तरदाता कृषि कार्य में प्रयोग को हाँ में सहमति दी है, 26.00 प्रतिशत उत्तरदाता कृषि कार्य में प्रयोग को नहीं में सहमति दी है, जबकि 12.00 प्रतिशत उत्तरदाता कृषि कार्य में प्रयोग को कभी -कभी में सहमति दी है।

इस प्रकर से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक 62.00 प्रतिशत उत्तरदाता कृषि कार्य में प्रयोग को हाँ में सहमति दी है, जिससे लोगों तक नवाचारों का कृषि कार्य में प्रयोग देखने को मिल रहा है। जिससे कृषि कार्य में में फसलों के उत्पादन में नवाचार से वृद्धि हुई है।

तालिका क्रमांक 7
कृषि जानकारियों को सहयोगियों के साथ साझा का विवरण

| क्रमांक | विवरण | संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1. | हाँ | 32 | 62.00 |
| 2. | नहीं | 10 | 20.00 |
| 3. | कभी–कभी | 8 | 16.00 |
| | **योग** | **50** | **100.00** |

उक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि कृषि जानकारियों को सहयोगियों के साथ साझा का वर्गीकरण करके उत्तरदाताओं से साक्षात्कार करने पर ज्ञात होता है कि 62.00 प्रतिशत उत्तरदाता कृषि जानकारियों को सहयोगियों के साथ साझा किया हाँ में सहमति दी है, 20.00 प्रतिशत उत्तरदाता कृषि जानकारियों को सहयोगियों के साथ साझा नहीं किया जबकि 16.00 प्रतिशत उत्तरदाता कृषि जानकारियों को सहयोगियों के साथ साझा कभी-कभी किया है,

इस प्रकर से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक 62.00 प्रतिशत उत्तरदाता कृषि जानकारियों को सहयोगियों के साथ साझा किया हाँ में सहमति दी है, जिससे लोगों तक जिससे लोगों को कृषि जानकारियों को सहयोगियों के साथ साझा करने से एक दूसरे को लाभ हुआ।

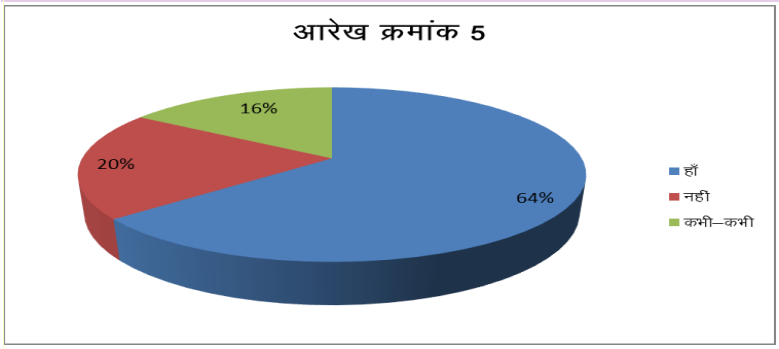


**नवाचारी कृषि एवं महिला सशक्तिकरण:-**भारत की कुल आबादी में से लगभग 70 प्रतिशत आबादी खेती-किसानी का काम करते हैं. इस देश के किसानों को भारत के अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है लेकिन जब देश के अन्नदाता की आर्थिक स्थिति की बात आती है तो आंदोलन और समझौतों के आगे बात नहीं बढ़ पाती। यही कारण है कि केंद्र सरकार बदलते समय के साथ ही कृषि विभाग में विकास के लिए अलग अलग तरह के योजनाओं का ऐलान करते रहते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से कृषि क्षेत्र में विकास को लेकर कई प्रयास भी किए गए है। कृषि के लिए अब आधुनिक उपकरणों से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक का सहारा लिया जा रहा है. इन्ही प्रयासों में से एक है मंडियों को डिजिटल किया जाना।

यह एक इलेक्ट्रॉनिक कृषि पोर्टल है. जो वर्तमान में पूरे देश में मौजूद एग्री प्रोडक्ट मार्केटिंग कमेटी को एक नेटवर्क में जोड़ता है. साल 2016 में ई-नाम योजना के तहत मंडियों के डिजिटलीकरण की शुरुआत की गई थी. इस पोर्टल का मकसद एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक बाजार उपलब्ध करवाना है. जिससे किसानों को उत्पादों का उन्हें ज्यादा और उचित दाम मिल सके. इस पोर्टल की मदद से किसान घर बैठे ई-मंडियों में अपना भी सामान बेच सकते हैं। दरअसल भारत में किसी भी कृषि उत्पादों को एक राज्य से दूसरे राज्य में बेचने की प्रक्रियाएं थोड़ी जटिल हैं. इस जटिल प्रक्रिया से बचने के लिए अक्सर ही किसान अपनी उपज को कम कीमत पर बेच देते हैं। कृषि का बुनियादी ढांचा उत्पादकों के आस-पास घूमता है, जिसमें उत्पादक यानी किसान अपने द्वारा उपजाए अनाजों को बाजार लेकर जाते है. यह एपीएमसी के अंतर्गत आता है. इस बाजार प्रणाली में सबसे ज्यादा समस्या किसानों या उत्पादकों को ही होती है. पहले तो उन्हें लंबी यात्रा करके अपने अनाजों को बाजार ले जाना पड़ता है. कई बार इस दौरान ही किसानों की कुछ फसल बर्बाद हो जाते है. किसान स्थानीय मंडी पहुंचकर अपने उत्पाद को बेचते हैं, जहां पर उनके उत्पाद की ग्रेडिंग छंटाई और पैकेजिंग होती है
इसके बाद स्थानीय एजेंट के जरिए खुदरा विक्रेता और थोक विक्रेताओं के लिए माल खरीदा जाता है. यह एजेंट हमेशा ही किसानों को कम कीमत पर सामान बेचने को कहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में दिक्कत ये है कि यहां किसान सीधे विक्रेताओं से संपर्क नहीं कर पाते हैं. ऐसे में किसान एजेंट को ही अपने उत्पाद बेच देते हैं क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प नहीं बचता है. इस तरह के बाजार में जहां किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है, जबकि बिचौलियों की चांदी होती हैं. कहीं ना कहीं इस तरह के बाजार में बिचौलियों का एक अधिकारी रहता है।

कोई भी किसान ई-नाम पोर्टल पर रजिस्टर करवा सकते हैं. अपना नाम रजिस्टर करवाने के बाद कोई भी किसान किसी भी ई-नाम मंडियों में व्यापारियों को ऑनलाइन बिक्री के लिए अपनी उपज अपलोड कर सकते हैं और व्यापारी भी किसी भी स्थान से ई-नाम के तहत बिक्री के लिए उपलब्ध लाट के लिए बोली लगा सकते हैं। गांवों का देश भारत ग्रामीण से शहरी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहा है, जिसके कारण लोगों के पेशे और उम्मीदों में भी बदलाव महसूस किया जा रहा है। दरअसल साल 2021 की तुलना में साल 2022 में कृषि की लागत में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसका कारण खेती के दौरान इस्तेमाल होने वाले डीजल, खाद, उर्वरक और कीटनाशकों की कीमतों में बढ़ोतरी है. पिछले एक साल में ही इसमें 10 से 20 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कुछ ऐसा ही हाल खाद और कीटनाशकों का भी है. साल 2022 में 50 किलो की एनपीके उर्वरक की एक बोरी अब 275 में आती है, जबकि यही साल 2021 में 265 की थी. बीते साल 2021-22 के खरीद विपणन सीजन में धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में 72 रुपये प्रति कुंतल की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी और साल 2022-23 के लिए गेहूं के एमएसपी केवल 40 रुपये प्रति कुंतल की बढ़ोतरी हुई है।
वहीं कीट नाशकों की बात करें तो इसकी कीमत में भी 10 से 20 फीसदी बढ़ोतरी दर्ज की गई. खेती के दौरान लगने वाले सामानों की बढ़ती लागत के साथ किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमतों में फसलों की बिक्री से चिंतित है. हालत इतनी खराब है कि किसान एक क्विंटल धान बेचकर भी 50 किलो डीएपी खाद तक नहीं खरीद पाते. डीएपी के सरकारी दाम 1206 रुपये हैं, लेकिन वो 1400-1600 में मिलती है।

कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत कार्य कर रहे अनुसंधान संस्थान और कृषि विज्ञान केंद्र कृषक महिलाओं की भागीदारी के साथ कार्यक्रम आयोजित करते हैं और इनके सशक्तिकरण को बढ़ावा देते है। इस संदर्भ में सबसे उल्लेखनीय योगदान और पहल है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा भुवनेश्वर में स्थापित केंद्रीय महिला संस्थान, जिसे पहले राष्ट्रीय केंद्र के रूप में गठित किया गया था, लेकिन हाल में इस विषय के महत्व को देखते हुए इसे संस्थान का दर्जा दिया गया है।

मुख्य रूप से अनुसंधान और कृषि प्रसार पर आधारित इस संस्थान ने केवल ओडिशा में ही नहीं, बल्कि देश भर में कृषक महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बेहद खास काम किया है और सफलता की अनेक कहानियां लिखी हैं। कृषक सामाजिक-आर्थिक विकास में सूचना प्रौद्योगिकी की बढ़ती उपयोगिता की देखते हुए इस संस्थान ने जेंडर नॉलेज सिस्टम पोर्टल का विकास किया है, जो कृषक महिलाओं से संबंधित उपयोगी सूचनाओं की एकल खिड़की की तरह काम करता है और योजनाओं की जानकारी दी गई है, जो कृषक महिलाओं के साथ नीति निर्माताओं, वैज्ञानिकों और प्रसार कार्यकर्ताओं के लिए यहां महिलाओं के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियों, सूचनाओं, प्रकाशना भी उपयोगी हैं।

संस्थान द्वारा कृषक महिलाओं को तकनीकी रूप से अधिक सक्षम और कुशल बनाने के लिए नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें बीज-उपचार, समेकित कीट प्रबंध, बीज उत्पादन, मुर्गी पालन जैसे विषयों पर व्यावहारिक ज्ञान दिया जाता है। महिला मछुआरों के लिए सूखी मछलियों के उत्पादन और स्वच्छ सार-संभाल पर चार क्षेत्रीय भाषाओं में मैनुअल तैयार किया गया है, क्योंकि तटीय क्षेत्रों में यह काम ज्यादातर महिलाओं द्वारा किया जाता है। कृषक महिलाओं की पोषण और आजीविका सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए महिलाओं को केंद्र में रखकर समेकित कृषि के मॉडल तैयार किए गए हैं, आमदनी बढ़ाने वाला और उपयोगी पाया गया है।
कृषक महिला सशक्तिकरण की योजनाओं और कार्यक्रमों ने देश भर में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है और उन्हें स्वाभिमान से जीने की राह दिखाई है। अनेक महिलाएं अपने गांव-कस्बे में कामयाबी की

मिसाल बन गई हैं। कृषक महिला स्वयंसहायता समूहों द्वारा मोटे अनाजों से उत्पाद तैयार करने के लिए प्रसंस्करण इकाइयां लगाई गई हैं। इस संबंध में यह जानना भी आवश्यक है कि भारत सरकार के अनेक मंत्रालयों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए विशिष्ट स्वयंसहायता समूह गठित किए जाते हैं, जिनमें कौशल विकास, दस्तकारी, हथकरघा उद्योग जैसे अनेक आमदनी बढ़ाने वाले व्यवसायों के लिए सहायता दी जाती है। इन समूहों में कृषक महिलाएं भी बड़ी संख्या में शामिल होकर आर्थिक प्रगति की राह पर आगे बढ़ रही हैं।

दरअसल कृषक महिलाओं को खेती के काम के दौरान चारा, ईंधन, खाद, बीज, फसल, सब्जियां जैसे अनेक सामानों या बोझ को इधर-उधर ले जाना पड़ता महिलाएं इसे सिर पर रखकर ढोती हैं, जिससे उन्हें अकसर सेहत संबंधी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसलिए वैज्ञानिकों ने एक विशेष युक्ति का विकास किया, जिसे कंधों के सहारे सिर पर पहना जाता है। इससे सारा बोझ केवल सिर पर नहीं पड़ता, बल्कि कंधों पर भी बंट जाता है। उपयोग में आसानी और हलका होने के कारण इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। इसी तरह यह भी देखा गया कि धान की बुआई, फसलों की गहाई, फलों और सब्जियों की तुड़ाई या चुनाई के दौरान महिलाओं को संक्रमण, चोट, खुजली आदि का खतरा होता है, क्योंकि वे पहनती।

कृषक महिलाओं के सशक्तिकरण को वर्तमान सरकार ने गंभीरता से लिया है और माना है कि कृषि विकास की हर योजना में महिलाओं की भागीदारी अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। इसके लिए योजनाओं में आवश्यक प्रावधान भी किए गए हैं। भारत सरकार के महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में आवंटित बजट की 30 प्रतिशत राशि कृषक महिलाओं के लिए निर्धारित की गई है। इसका लाभ कृषक महिलाओं को उन्नत कृषि प्रणालियों का प्रशिक्षण देने में भी मिल रहा है। देश के 28 राज्यों में इस मिशन को राज्य सरकारों के सहयोग से भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार लागू किया जा रहा है। इस क्रम में राष्ट्रीय तिलहन और तेल ताड़ मिशन में भी आबंटित बजट की 30 प्रतिशत राशि को महिला लाभार्थियों तथा कृषक महिलाओं के लिए निर्धारित किया गया है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के रूप में संगठित करके उन्हें कृषि के लिए आवश्यक सामान, तकनीकी और प्रसार सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इससे महिलाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही हैं। बीज और रोपण सामग्री उप-मिशन के अंतर्गत कृषक महिलाओं को बीज-गांव कार्यक्रम और गुणवत्ता नियंत्रण कार्यक्रम में भागीदारी का समान रूप से अवसर दिया जा रहा है। राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया है कि वे इसमें कृषक महिलाओं की हिस्सेदारी को सुनिश्चित करें और इसके लिए पर्याप्त धन भी उपलब्ध कराएं। इसी तरह राज्य सरकारों को कृषि प्रसार कार्यक्रमों में कृषक महिलाओं और कृषि प्रसार महिला कर्मियों को शामिल करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत कम से कम 30 प्रतिशत साधनों को महिलाओं के सशक्तिकरण पर खर्च करने का निर्देश दिया गया है।

कृषि संबंधी योजना बनाने और निर्णय लेने की प्रक्रिया में कृषक महिलाओं की भागीदारी ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर सुनिश्चित की गई है। अब कृषक महिलाओं को कृषक सलाहकार समिति में अनिवार्य रूप से प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। विशिष्ट रूप से कृषक महिलाओं के लिए विकसित तकनीकों को खेत में ले जाने से पहले कृषक महिलाओं द्वारा जांचने-परखने का प्रावधान भी किया गया है।

पारम्परिक सोच और चिंतन को नकारती हुई समकालीन महिलाएँ विभिन्न क्षेत्रों में अपनी उपयोगिता और सार्थकता सिद्ध करते हुए दिख रही हैं। पिछड़ा वर्ग समुदाय जो मूलतः कृषि क्षेत्र से जुड़ा रहा है, के आर्थिक विकास का आधार कृषि उत्पादन रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में महिलाओं की भूमिका धीरे-धीरे प्रभावी होने लगी हैं। पूर्व में महिलाओं के सामने कृषि संबंधी जो कठिनाई थी वह कृषि कार्य में पारम्परिक संसाधनों की उपस्थिति, कृषि उत्पादन के विपणन की समस्या तथा उन्नत किस्म के बीजों को अभाव के साथ-साथ यांत्रिक उपकरणों की कमी रही है। समय के साथ इन नवीन चीजों के आ जाने से महिलाओं को कृषि कार्य में सहायता मिलने लगी है। जिसके माध्यम से उनकी आय में वृद्धि होने लगी है। अध्ययन के दौरान अध्ययन क्षेत्र की कृषक महिलाओं से कृषि उत्पादन के माध्यम से मिलने वाली विभिन्न प्रकार के आय और कृषि लाभ के संबंध में चर्चा की गई, जिसमें प्राप्त जानकारियों का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है-

तालिका क्रमांक 8
कृषि भूमि स्वामित्व पर उत्तरदाताओं के विचार

| क्र | विवरण | संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1. | स्वामित्व है | 41 | 82.00 |
| 2. | स्वामित्व नहीं है | 9 | 18.00 |
| | **योग** | **50** | **100.00** |

आरेख क्रमांक 6

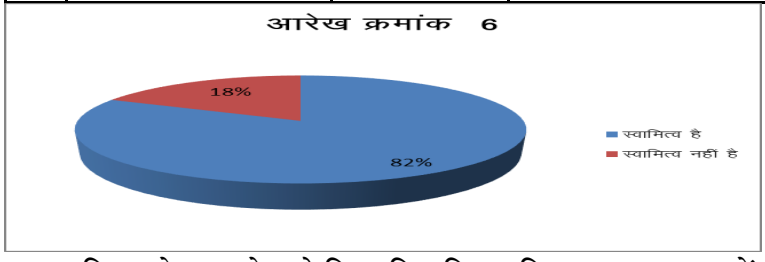


उक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि कृषि भूमि स्वामित्व पर उत्तरदाताओं के विचार का साक्षात्मकार में महिलाओं को शामिल किया गया है जिसमें 82.00 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं की स्वामित्व है जबकि 18.00 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं की स्वामित्व नहीं है। इस प्रकार से निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि सर्वाधिक 18.00 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं की स्वामित्व है। यह स्वामित्व मूलतः महिलाओं के पति के होने के कारण व्यावहारिक रूप से महिलाएं उस पर अपना स्वामित्व मानती हैं। क्योंकि पति और पत्नी में संवेत रूप से एक इकाई मानी जाती है।

तालिका क्रमांक 9
कृषि के अतिरिक्त रोजगार के साधन का विवरण

| क्र. | विवरण | संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1. | साधन है | 38 | 76.00 |
| 2. | साधन नहीं है | 12 | 24.00 |
| | **योग** | **50** | **100.00** |

उक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि कृषि के अतिरिक्त रोजगार के साधन का विवरण के सम्बन्ध में साक्षात्मकार में शामिल उत्तरदाताओं के विवेचन से स्पष्ट है कि 76 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं की साधन है जबकि 24 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं की साधन नहीं है।इस प्रकार से निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि सर्वाधिक 76 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं की परिवार में कृषि के अतिरिक्त रोजगार के साधन उपलब्ध है।

तालिका क्रमांक 10
अचल सम्पत्ति के संबंध में उत्तरदाताओं के विचार

| क्र. | विवरण | संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1. | अचल सम्पत्ति है | 36 | 72.00 |
| 2. | अचल सम्पत्ति नहीं है | 14 | 28.00 |
| | **योग** | **50** | **100.00** |

आरेख क्रमांक 7

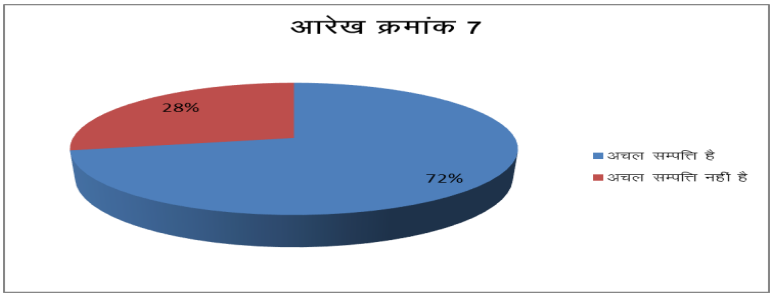


उक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि कृषि के अतिरिक्त रोजगार के साधन का विवरण के सम्बन्ध में साक्षात्मकार में शामिल उत्तरदाताओं के विवेचन से स्पष्ट है कि 72.00 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं की साधन है जबकि 28.00 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं की साधन नहीं है।इस प्रकार से निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि सर्वाधिक 72.00 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं की परिवार में कृषि के अतिरिक्त रोजगार के साधन उपलब्ध है।

तालिका क्रमांक 11
चल सम्पत्ति में उत्तरदाताओं के विचार

| क्र. | विवरण | संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1. | चल सम्पत्ति है | 38 | 76 |
| 2. | चल सम्पत्ति नहीं है | 12 | 24 |
| | **योग** | **50** | **100.00** |

आरेख क्रमांक 8

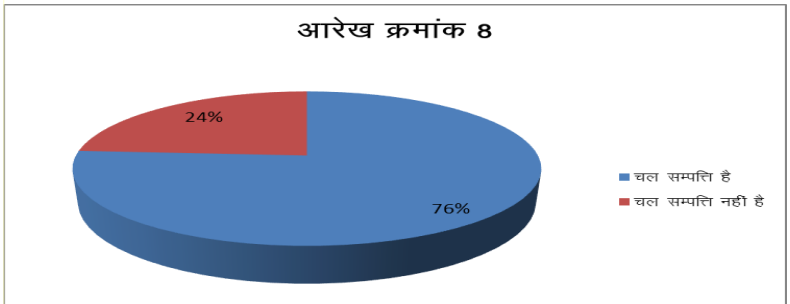


उक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि चल सम्पत्ति में उत्तरदाताओं के विचार के सम्बन्ध में साक्षात्कार में शामिल उत्तरदाताओं के विवेचन से स्पष्ट है कि 76.00 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं की साधन है जबकि 24.00 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं की साधन नहीं है।इस प्रकार से निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि सर्वाधिक 76.00 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं की परिवार में कृषि के अतिरिक्त रोजगार के साधन उपलब्ध है।

**निष्कर्षतः** यह कहा जा सकता है कि कृषि संबंधी योजना बनाने और निर्णय लेने की प्रक्रिया में कृषक महिलाओं की भागीदारी ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर सुनिश्चित की गई है। अब कृषक महिलाओं को कृषक सलाहकार समिति में अनिवार्य रूप से प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। विशिष्ट रूप से कृषक महिलाओं के लिए विकसित तकनीकों को खेत में ले जाने से पहले कृषक महिलाओं द्वारा जांचने-परखने का प्रावधान भी किया गया है।

पारम्परिक सोच और चिंतन को नकारती हुई समकालीन महिलाएँ विभिन्न क्षेत्रों में अपनी उपयोगिता और सार्थकता सिद्ध करते हुए दिखा रही हैं। पिछड़ा वर्ग समुदाय जो मूलतः कृषि क्षेत्र से जुड़ा रहा है, के आर्थिक विकास का आधार कृषि उत्पादन रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में महिलाओं की भूमिका धीरे-धीरे प्रभावी होने लगी हैं। पूर्व में महिलाओं के सामने कृषि संबंधी जो कठिनाई थी वह कृषि कार्य में पारम्परिक संसाधनों की उपस्थिति, कृषि उत्पादन के विपणन की समस्या तथा उन्नत किस्म के बीजों को अभाव के साथ-साथ यांत्रिक उपकरणों की कमी रही है। समय के साथ इन नवीन चीजों के आ जाने से महिलाओं को कृषि कार्य में सहायता मिलने लगी है। जिसके माध्यम से उनकी आय में वृद्धि होने लगी है। अध्ययन के दौरान अध्ययन क्षेत्र की कृषक महिलाओं से कृषि उत्पादन के माध्यम से मिलने वाली विभिन्न प्रकार के आय और कृषि लाभ पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को मिल रहा है। अतएव पिछड़ा वर्ग की महिलाओं में सशक्तिकरण में सार्थक लाभ हो रहा है महिलाएं अपने पैरों पर स्वतः खड़ी होकर घर की जिम्मेदारी को बाखूबी निभाने में सशक्त हुई हैं।

**********

संदर्भ स्रोत:-

1. सिंधी, पी.एम. एण्ड मोदी, बेला (1974), फारमर्स इन्फ्लोरेन्स एण्ड द रोल ऑफ टेलीविजन इन एग्रीकल्चर, इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, अहमदाबाद।
2.सिंह, राजेन्द्र कुमार, (1966), ग्रामीण राजनीतिक अभिजन, क्लासिकल पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली।
3.सक्सेना, गोपाल, (2000), फोरटी इयर्स ऑफ टेलीविजन इन इण्डिया, विन्पुरा, जनवरी-मार्च, वाल्यूम 37, इशू, पृ. 32
4.सिंह, योगेन्द्र, (2002), कल्चर चेन्ज इन इण्डिया, रावत पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
5.सिसोदिया, मतीन्द्र सिंह, (2005), तृण मूल स्तर पर विकेन्द्रकृत अभिशासन का ग्रामीण सामाजिक एवं राजनीतिक परिदृश्य पर प्रभाव-मध्यप्रदेश के गाँवों का अध्ययन, मध्यप्रदेश सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान, उज्जैन।
6.सिंह, योगेन्द्र, (2002), कल्चर चेन्ज इन इण्डिया, रावत पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
7.श्रीनिवास, एम.एन., (1955) सोशल स्ट्रक्चर ऑफ ए मैसूर विलेज इन इण्डिया
8.श्रीवास्तव, एस.एल. (1973), कल्चरल चेन्ज एण्ड सोशल चेन्ज एमंग द रामर्गास मेन इन इण्डिया, वाल्यूम 53, नं. 1 जनवरी-मार्च
9.श्रीनिवास, एम.एन., (1962), कास्ट इन मॉडर्न इण्डिया एण्ड अदर एसे, एशिया पब्लिशिंग हाउस, बॉम्बे।

,,,,,,